उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 213 / गोपनीय / 2020
दो–3–5 / 2019 (2020)

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2020

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, **सुश्री प्रियंका चौहान,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, खरगोन जिला मण्डलेश्वर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन **''श्रीमती प्रियंका चौहान डावर''** पत्नी **श्री राजूसिंह डावर** करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 214 / गोपनीय / 2020
दो–3–5 / 2019 (2020)

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार,(लेखा / हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. **श्रीमती प्रियंका चौहान डावर,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, खरगोन जिला मण्डलेश्वर को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 40 / आर / 20, दिनांक 27.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **मण्डलेश्वर** को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 84 / दो–6–1 / 2007, दिनांक 30.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / डी0ए0 (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01 / 03 / 2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग इत्यादि संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल